बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0... पटना/दिनांक–

सरकार की राय में राज्य के किसानों को अपनी उपज का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा धान एवं चावल की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्दों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है।

1. खरीफ विपणन मौसम 2016–17 अन्तर्गत धान एवं चावल की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया जाता है।

(i) राज्य अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति करने हेतु राज्य अभिकरण के रूप में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पैक्स/व्यापार मंडलों को प्राधिकृत किया जाता है। प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)/व्यापार मंडल द्वारा किसानों से क्रमशः पंचायत/प्रखंड स्तर पर धान का क्रय किसानों से किया जाएगा एवं उस परिपेक्ष्य में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, उन जिलों में आपातकालीन स्थिति में पैक्सों/व्यापार मण्डलों से निगम द्वारा धान क्रय कर वाह्य जिला के पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से सी0एम0आर0 जमा कर मिलों से धान कुटाई कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(iii) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार के पत्र संख्या– 4(4)/2015-Py.1 दिनांक–09.06.2016 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2016–17 के अन्तर्गत धान के साधारण एवं गेड "ए" का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् है :–

(रूपये प्रति क्वींटल)

धान	**साधारण**	**1470.00**
	ग्रेड "ए"	**1510.00**

खरीफ विपणन मौसम 2016–17 अन्तर्गत कस्टम मिल राईस (CMR) का दर भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रभावी होगा।

(iv) खरीफ विपणन मौसम 2016–17 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम क्रमशः **15.11.2016** से मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों में तथा राज्य के अन्य जिलों में **01 दिसम्बर 2016** से प्रारम्भ होगा एवं **31.03.2017** तक प्रभावी रहेगा तथा सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्यक्रम **15 नवम्बर 2016 से 31.07.2017** तक प्रभावी रहेगा।

(v) यह अधिसूचना खरीफ विपणन मौसम 2016–17 के अन्तर्गत **दिनांक–15.11.2016 से 31.07.2017 तक** के लिए प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ0 दीपक प्रसाद)
प्रधान सचिव

D:\2014\Sec_1\Vividh.doc

ज्ञापांक :– प्र010 / ख0वि0अधि0–02 / 16....6530 / खाद्य, पटना–14/11/16.......
प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना–7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की एक सौ प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक– दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0।

प्रधान सचिव।
14/11

ज्ञापांक :– प्र010 / ख0वि0अधि0–02 / 16....6530 / खाद्य, पटना–14/11/16.....
प्रतिलिपि :– सरकार के सभी प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ ~~एवं~~ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।
14/11

ज्ञापांक :– प्र010 / ख0वि0अधि0–02 / 16.......6530 / खाद्य, पटना–14/11/16.........
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।
14/11

ज्ञापांक :– प्र010 / ख0वि0अधि0–02 / 16.......6530 / खाद्य, पटना–........................ 14/11/16
प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।
14/11

D:\2014\Sec_I\Vividh.doc